संक्षिप्त

हिजाब विवाद में महिला डॉक्टर को धमकी

टोंक। मुख्यालय स्थित जनाना अस्पताल की डॉक्टर और यूनानी इंटर्न छात्रा के हिजाब विवाद के चलते डॉ. बिंदु गुप्ता और उनके पति को धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसके चलते उन्होंने पीएमओ हनुमान प्रसाद बैरवा से 7 दिन का अवकाश मांगा है। पत्र में उन्होने बताया है कि उन्हे किसी अज्ञात द्वारा धमकी दी गई, जिसके कारण इस माहोल में वह ड्यूटी करना संभंव नही है। वहीं छात्रा को लेबर रूम में वीडियो बनाने और ड्रेस कोड में आने को लेकर नोटिस दिया है। गत 16 अगस्त को जानना अस्पताल में डॉक्टर बिंदू गुप्ता और यूनानी इंटर्न छात्रा के बीच हिजाब पहनने को लेकर बहस हुई थी, जिसके अन्तर्गत छात्रा ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, उसके बाद से ही यह मामला सुर्खियों में है। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति की धमकी का मामला सामने आने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पी.एम.ओ कार्यालय पहुंचकर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया तथा पीएमओ और अति. जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर धमकी देने वाले और छात्रा के खिलाफ कार्यवही करने की मांग की है, इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन ने जनाना अस्पताल और प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी है।

जूडो टीम का ट्रायल 24 को निवाई में

टोंक। अनिल नोहटा फाइटर डिफेंस एकेडमी निवाई में जिला जूडो संघ द्वारा कैडेट एवं सीनियर वर्ग की जिला जूडो टीम का चयन 24 अगस्त को किया जाएगा। इस दौरान जिला जूडो संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण गुप्ता एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाडी राधेश्याम नवारिया ने बताया कि जिन खिलाड़ियों का जन्म वर्ष 2008, 2009, 2010 में हुआ है वह कैडेट वर्ग एवं जिन खिलाड़ियों का जन्म 2010 एवं इससे पूर्व हुआ है वह सीनियर वर्ग में भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया की खिलाडी अपने साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं टेस्ट की मूल प्रति के साथ एक-एक प्रतिलिपि कॉपी तथा चार पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना आवश्यक है।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी

श्री लड्डूराम जी सैनी

का स्वर्गवास 21.08.2025 को हो गया। तीये की बैठक 23.08.2025 शनिवार को 4 से 5, बजे तक अवध पैराडाइज गार्डन नीयर सेंट थॉमस स्कूल, हीरापूरा, जयपुर पर रखी गयी है।

शोकाकुलः नारायण (भाई), रामकुमार, फूलचंद, रामचन्द्र, बाबूलाल, ओमप्रकाश, गणेश, उमेश (पुत्र) मोहन, सोहन, पवन, नरेश, हरीश, रोहित, हर्ष, हिमांशू (पौत्र) दिव्यांश, सक्षम, धैर्य, कुणाल, देवांश, विशिष्ट, (पड़पौत्र) एवं समस्त नैणावा (सैनी) परिवार

9251571970, 9928637174, 9166377529

खोया पाया

मेरे मकान नम्बर 192/159 सेक्टर 19, प्रताप नगर, सांगानेर का नो ड्यूज नम्बर-3082 डेट-13.02.2006 कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें- राजीव रंजन-7728029185

मेरे आवास 65/311 हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर का मूल कब्जा पत्र मानसरोवर में कहीं खो गया है जो कि राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा भूपेन्द्र सिंह के नाम से आवंटित है मिलने पर कृपया सूचित करें मनोज सक्सेना-9828075137

मेरे भूखण्ड संख्या 295 रोहिणी नगर-3 योजना का मूल आवंटन पत्र व कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करें- मनोज कुमार गोयल फोन नंबर-9251628813

मेरे भूखण्ड संख्या बी-125, राम नगरिया विस्तार योजना का मूल लीज डीड पट्टा व सभी स्टाम्प कहीं गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करें- राकेश कुमार फोन नंबर-7427094024

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

लालसोट में तहसीलदार व वकीलों के बीच विवाद को लेकर अधिवक्ता आक्रोशित

पावटा। दौसा के लालसोट में तहसीलदार व अधिवक्ताओं के बीच हुये विवाद का मामला प्रदेश भर में तूल पकडता जा रहा हैं। इसको लेकर अभिभाषक संघ पावटा ने अध्यक्ष ओमप्रकाश सैनी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी पावटा कपिल उपाध्याय को भजन लाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंप लालसोट तहसीलदार को निलंबित करने व विभागीय कार्यवाही कर जांच करने की मांग की। अभिभाषक संघ पावटा ने अध्यक्ष ओमप्रकाश सैनी ने

■ **अधिवक्ताओं ने दी चेतावनी, कार्यवाही नहीं हुई तो करेगें आंदोलन**

बताया कि लालसोट वर्तमान तहसीलदार अमितेश मीणा द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित व निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश हैं। इस दौरान इस दौरान अध्यक्ष एड. ओमप्रकाश सैनी समेत उपाध्यक्ष एड.अनिल सिंह शेखावत, सचिव एड. सुरेंद्र सिंह शेखावत, संयुक्त सचिव एड. मुकेश कुमार यादव, मीडिया प्रभारी एड.हेमंत कुमार मौर्य, कोषाध्यक्ष एड. मुकेश यादव, पुस्तकालयाध्यक्ष एड. कुलदीप पटेल, संगठन मंत्री जय किशन सोनी, दिलीप सिंह शेखावत, विष्णु कुमार शर्मा, नरेश कुमार यादव, लोकेश कुमार शर्मा, मुकेश कुमार स्वामी, अशोक सिंह गुर्जर, हजारी लाल यादव, घनश्याम शर्मा, सीताराम सैनी, गौरव शर्मा, कमलकांत शर्मा, महेश शर्मा, दिनेश दायमा, मेहर सिंह जाट, धर्मपाल यादव, सुरेश कुमार धानका, हरि सिंह यादव, किशोरी लाल यादव, बुद्धाराम यादव, रिंकू गुर्जर, स्टांप वेंडर श्यामसुंदर शर्मा, महेंद्र यादव, गुल्लाराम यादव, विसंबर सैनी, उमेश चौधरी, सुभाष यादव, सुल्तान यादव, महेंद्र सिंघल, सुरेश गुर्जर, सुनील अठावाल, सूर्यकांत सैनी, टीटू अठावाल, रामसिंह सैनी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।

अभिभाषक संघ पावटा ने अध्यक्ष ओमप्रकाश सैनी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी पावटा कपिल उपाध्याय को सीएम भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा।

एसआई 3 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा

भरतपुर (निस)। भरतपुर में विजय नगर कॉलोनी के रहने वाले एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने अतिक्रमण के एक मामले में 3 साल से अधिकारियों के चक्कर काटने की बात कही। उनका कहना है कि पड़ोसी आरएसी कॉन्स्टेबल ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे आने-जाने में दिक्कत होती है। आरोप है कि अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे । रिटायर्ड एसआई गोवर्धन सिंह ने बताया- मेरे मकान के बगल में अतर सिंह नाम के व्यक्ति का प्लाट है। अतर सिंह आर ए सी में नौकरी करता है। उसने जब मकान बनाया तो दीवार को आगे बढ़ाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। मैं तीन साल से परेशान हूं। मैंने नगर निगम, कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत दे दी है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम की टीम जाती है। गोवर्धन सिंह ने कहा- मेरे घर के गेट के आगे 20 फीट लंबा पाइप लगाकर पानी चलाया हुआ है। जो वहां खाली जगह पड़ी है उस पर अतर सिंह निर्माण कर रहा है अगर नगर निगम अतिक्रमण हटवाकर रोड बनवा दे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने संभागीय आयुक्त के यहां ज्ञापन दिया है। गोवर्धन सिंह ने बताया - मैं पिछले 3 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूं लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। नगर निगम की टीम जाती है अतिक्रमण को तोडकर आ जाती है और मलबे को वहीं छोड़ आती है। अतर सिंह दोबारा निर्माण करवाया देता है। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हो चुका हूं। अतर सिंह ने अपने प्लाट से 10 फीट आगे तक अतिक्रमण किया हुआ है।

भरतपुर में विजय नगर कॉलोनी के रहने वाले एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने अतिक्रमण के एक मामले में अधिकारियों से शिकायत की।

भरतपुर में दो बहनों से छेड़खानी व मारपीट

भरतपुर (निस)। चिकसाना थाना क्षेत्र में दो युवतियों के साथ छेडखानी और मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों युवतियों को बेहोशी की हालत में खेत में पाया गया था। होश आने पर युवतियों ने पुलिस को बताया कि कोचिंग जाते समय कुछ युवक उनका पीछा करते थे और शाम को टहलने गईं तो आधा दर्जन लोगों ने उनके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई की गई, दोनों युवतियों का इलाज आरबीएम अस्पताल में चल रहा है,पुलिस ने घटना के बारे में दोनों युवतियों से जानकारी की है.पुलिस मामले की जांच कर रही है.मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सर्वसमाज महासभा की बैठक में सामाजिक कार्यों पर चर्चा

भरतपुर (निस)। सर्वसमाज महासभा जिला भरतपुर की बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई, बैठक जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंघल की अध्यक्षता में नई मण्डी स्थित जिला कार्यालय पर समाज के अनेक वरिष्ठजन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुई।

बैठक का शुभारम्भ सर्वधर्म प्रार्थना और गायत्री मंच के उच्चारण के साथ हुआ। बैठक में समाज की एकता, संगठन की मजबूती, शिक्षा, सामाजिक उत्थान और आने वाले समय में किये जाने वाले सामाजिक कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया एवं तय हुआ कि आगामी माह में सभी जाति विरादरी के अध्यचक्ष, मंत्रीयों एवं पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन कर समाज के उत्थान, शिक्षा, संस्कार और जरूरतमंद वर्ग की सहायता के सामूहिक प्रयास किये जायें।

बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अनिल भारद्वाज का अतिथि के रूप में सम्मान किया गया। अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंघल ने कहा कि आगामी दुर्गा अष्टमी पर महिला मोर्चा द्वारा अलग-2 वर्गों की 5 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम भी रखा गया है। बैठक में संरक्षक जीवनलाल शर्मा, देवेन्द्र भारद्वाज, पवन कुमार, अमन चौधरी, एड. श्वेता यादव महिला अध्यक्ष, लक्ष्मी कुमारी महिला उपाध्यक्ष, प्रेमचंद लवानियां, उमेश गोयल, धर्मवीर सिंह तुहिया, गौरव पाराशर संगठन मंत्री, संरक्षक राजेन्द्र डंडौतिया, राष्ट्रीय सचिव के.के. शर्मा, सूर्यदत्त पांचाल, राजन सिंह, देशराज सिंह एवं बयाना के सौरभ शर्मा उपस्थित रहे। डॉ. देवेन्द्र भारद्वाज द्वारा नवरात्रि के मौके पर सेवा बस्तियों में जाकर हवन कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई गई। संगठन मंत्री गौरव पाराशर द्वारा 31 अगस्त के घरेलू कामकाज करने वाले महिला की पुत्री के विवाह में स्टील की आलमारी देने का संकल्प लिया गया। अंत में सभी उपस्थित सदस्यों ने समाज हित में निरंतर कार्य करते रहने का संकल्प लिया।

जनसुनवाई में जिलेभर से आए करीब 215 परिवादियों ने बताई अपनी समस्याएं

अलवर। पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में जिलेभर से आए करीब 215 परिवादियों ने अपनी परिवेदनाएं दी।

वन राज्य मंत्री शर्मा ने कहा कि

■ **जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को तत्काल राहत प्रदान कर उनको मूतभूत सुविधाओं का लाभ प्रदान करना : मंत्री शर्मा**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सतत रूप से जनसुनवाई आयोजित की जाती है। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन को तत्काल राहत प्रदान कर उनको मूतभूत सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है।वन राज्य मंत्री की जनसुनवाई में पेयजल, बिजली, चिकित्सा, सडक़, स्थानांतरण, पुलिस, अतिक्रमण आदि की परिवेदनाएं प्रमुख रही, जिस पर मंत्री श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि परिवेदनाओं का गुणवत्ता के साथ त्वरित निराकरण करें तथा जो परिवेदना जयपुर से संबंधित है उनका भी निस्तारण समयबद्ध रूप में करावे। जनसुनवाई में अलवर शहर के वार्ड नंबर 29, नेहरू नगर गुरुद्वारा के पास, रामायणी हनुमान जी के पास एवं वार्ड नंबर 35 व 27 में थ्री फेस बोरिंग कराने, जय अंबे कॉलोनी, मोती नगर विस्तार कॉलोनी, वार्ड नंबर 52 साठ फीट रोड तथा कंगाल हाथा में पानी की समस्या पर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को यथाशीघ्र समाधान निकाल कर पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने एवं नई बोरिंगो के प्रस्ताव तैयार करने व ड्रिल हो चुकी बोरिंग के 27 अगस्त तक लाइन मिलान कराने के निर्देश दिए। वहीं जगन्नाथ मंदिर के पास के क्षेत्र से पहुंची महिलाओं ने बोरिंग कराने के लिए मीणावाटी गीत गाकर वन राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा का धनयवाद ज्ञापित किया। इसी प्रकार नेहरू नगर वार्ड नंबर 45 में सडक़ निर्माण, हाउसिंग बोर्ड मनु मार्ग कॉलोनी में जल भराव, मोहल्ला सेठ जी की बावडी में सडक़ की साफ-सफाई व अस्थाई अतिक्रमण हटवाने, शिव कॉलोनी में साफ-सफाई आदि की परिवादनाओं पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर निश्चित समय सीमा में समस्या समाधान करने के निर्देश दिए।

मंत्री संजय शर्मा ने जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
5 वीं व 6ठीं मंजिल, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Ph.: 0141-2741805, E-mail: rschfjaipur@yahoo.com
Office website: www.rschf.org

क्रमांक : 127/25 **आम सूचना** दिनांक: 21.08.2025

संघ की आवासीय योजना कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड़, जयपुर का भवन संख्या-2-ज-16 श्री गोपाल लाल शर्मा को आवंटित किया गया था। जिसकी कन्वेंस डीड एवं परपेचुअल लीज जारी कर दिनांक 15.03.1996 को रजिस्ट्री करवा दी गई है। श्री शर्मा के उक्त भवन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती तारा बैजल पत्नि श्री विजय बैजल द्वारा दिनांक 15.06.1996 को क्रय किया गया। श्रीमती बैजल की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पति श्री विजय बैजल एवं पुत्र श्री सिद्धार्थ बैजल द्वारा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उनके नाम संयुक्त रूप से उक्त भवन ट्रांसफर करने हेतु आवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त भवन के हस्तांतरण पर आपत्ति हो, तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा भवन संख्या 2-ज-16, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड़, जयपुर को संयुक्त रूप से श्री विजय बैजल एवं श्री सिद्धार्थ बैजल के नाम हस्तांतरण कर दिया जावेगा। (योगेश शर्मा) निदेशक
राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/537

चूंकि प्रार्थी श्री RAJESH VIJAYVARGIA, 50, GANGA VIHAR COLONY, BHANKROTA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास GANGA VIHAR COLONY VIKAS SAMITI CHARITABLE TRUST, 50, GANGA VIHAR COLONY, BHANKROTA, JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 19-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 27-10-2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/529

चूंकि प्रार्थी श्री Bhupesh Kumar Yadav, Nihalpura, Neemrana, Akleempura, Alwar,-301703 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास एमएनआईटी जयपुर पूर्व छात्र संघ, RELIEF TO POOR, EDUCATION के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 19-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 29-10-2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे **मकान नं. 22/ए-4, प्रताप नगर, जयपुर** का **Original Allotment Letter No. 77 Date 11.04.2007** जो 21.05.2025 को खो गया है जिसकी रिपोर्ट **एल.आर. नं. 2864406/2025** दर्ज करा दी गई है। **प्रतिमा श्रीवास्तव C/o शिल्प कुमार ने एस.बी.आई. में लोन हेतु आवेदन किया है।** यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिवस में सम्पर्क करें। **प्रतिमा श्रीवास्तव C/o शिल्प कुमार** Flat No. 02, Sanrachna Apartment in Front of MBS Hospital, Nayapura, Kota PO-Kota, District-Kota, Rajasthan-324001

शिल्प कुमार +91 9509519958

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
(Govt. Procedure Code Appendix 'B' Form No. 2).
अज अदालत न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज साहब स-3 अजमेर
डॉ. कृष्णबिहारी -बनाम सुश्री उषा अग्रवाल
मुद्दह........ मुदायला.............
दावा बाबत दिवानी वाद स.182/2014
मुकदमा नं.- CS- 17 सन् 2014

बनाम.......
मुसम्मी डॉक्टर अलका गर्ग जी पत्नी स्व. श्री डॉ. अरूण गर्ग, अक्षत, श्री आयुष, गर्ग नाबालिक जरियेप्राकृतिक माता संरक्षिका डॉ. अलका गर्ग चूंकि केयरवेल हॉस्पीटल प्लॉट नं. 471, आदर्श नगर, जयपुर ने अदालत में तारीख .... माह .... सन् 2000... को एक 1 प्रार्थना पत्र बनाम 3 कायम मुकाम को जो कि बाद फौत हो गया और चूंकि वादीगण मजकूर ने दरख्वास्त अदालत हाजा में जाहिर करके की है कि आप मुतबयफी- स्वश्री अरूण गर्ग मजकूर को कायम मुकाम जायज हो और इल्मदुआ की है कि बजाय उसके आप 2 डॉ. अलका गर्ग बनाये जाओ।
जाहिर वजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1'... आपको तारीख 29 माह 08 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जायेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 08 सन् 2025 को जारी किया गया।

(मुहर) दस्तखत
रीडर
अपर जिला व सेशन न्यायाधीश
संख्या-3 अजमेर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
(Govt. Procedure Code Appendix 'B' Form No. 2).
अज अदालत न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज साहब स-3 अजमेर
डॉ. कृष्णबिहारी -बनाम सुश्री उषा अग्रवाल
मुद्दह........ मुदायला.............
दावा बाबत दिवानी वाद स.182/2014
मुकदमा नं.- CS- 21 सन् 2014

बनाम.......
मुसम्मी डॉक्टर अलका गर्ग जी पत्नी स्व. श्री डॉ. अरूण गर्ग, अक्षत, श्री आयुष, गर्ग नाबालिक जरियेप्राकृतिक माता संरक्षिका डॉ. अलका गर्ग चूंकि केयरवेल हॉस्पीटल प्लॉट नं. 471, आदर्श नगर, जयपुर ने अदालत में तारीख .... माह .... सन् 2000... को एक 1 प्रार्थना पत्र बनाम 3 कायम मुकाम को जो कि बाद फौत हो गया और चूंकि प्रार्थीगण मजकूर ने दरख्वास्त अदालत हाजा में जाहिर करके की है कि आप मुतबयफी- स्वश्री अरूण गर्ग मजकूर को कायम मुकाम जायज हो और इल्मदुआ की है कि बजाय उसके आप 2 डॉ. अलका गर्ग बनाये जाओ।
जाहिर वजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1'... आपको तारीख 29 माह 08 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जायेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 08 सन् 2025 को जारी किया गया।

(मुहर) दस्तखत
रीडर
अपर जिला व सेशन न्यायाधीश
संख्या-3 अजमेर

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम अंकित कुमार से बदलकर अंकित कुमार गुलाबचन्दानी रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। अंकित कुमार गुलाबचन्दानी 162/51, सैक्टर 16 प्रताप नगर सांगानेर

मैंने अपना नाम अभय कुमार अवस्थी (ABHAY KUMAR AVASTHI) से बदलकर अभय कुमार अवस्थी (ABHAY KUMAR AWASTHI) पुत्र श्री विशम्बर दयाल अवस्थी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। पता सी-12, एयरपोर्ट एनक्लेव, चित्रकूट नगर जगतपुरा जयपुर

मैं, कुलदीप शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा, निवासी 29-बी, जगदम्बा कॉलोनी, करणी पैलेस, पांच्यावाला, जयपुर। मैंने अपना नाम कुलदीप से बदलकर कुलदीप शर्मा रख लिया है। भविष्य में इसी नाम से जाना जाऊंगा।

I have change my name from Yuvraj Singh to Manuraj Singh S/o Late Major Gajendra Singh for all Future Purpose and my Date of Birth 02 Nov 1980, Resident 52, Gayatri Nagar Vistar, Shipra path Mansarovar Jaipur- 302020

I sarwan Ram S/o hardewa ram resident of suratpura tehsil kuchaman city district deedwana kuchaman rajastan that I have changed my name From SARWAN RAM To SARWAN and sub name Ram . in future called me my name SARWAN for all purposes before district notary kuchaman city rajasthan

I smt patasi legally wedded spouse of Army no 2967544K Ex Hav Late Hanuman singh S/ O Sohan Lal village post Kalyanpur a khurd tehsil Kotputli district Kotputli that i want change my name which is wrongly entered in my husband service record from PATASI DEVI (DOB 25/1/1956) To PATASI (DOB 1/1/1960) vide affidavit dated 19/8/25 before district sub majistrate Kotputli district Kotputli behrore

I neha kanwar W/O late shree jitendra singh tanwar resident of plot no. 5 hari nagar arun vatika khirni phatak road jhotwara jaipur that in my all documents my name is NEHA KANWAR which is correct but my education documents is sangeeta singh Chouhan To NEHA KANWAR in future called me as NEHA KANWAR for all purposes

I kiran is legally wife of Army No JC-675931H Naib Subedar Dharmendra Singh Chouhan Add-143, Shikharji Dham, Dewas Po-Dewas, Dist Dewas MP-455001, my husband service Record my Name Kiran Whereas correct Name Kiran Chouhan vide afdidavit No. CD949098, Date 22.08.25

आम सूचना दिनांक 22.08.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाबा आर. एन. गौड़ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर की योजना मंगल मूर्ति विहार, स्थित भापुरा रोड़ सांगानेर जयपुर मे स्थित भूखण्ड संख्या ए-16 क्षेत्रफल 122. 22 वर्गगज, दिनांक 04.03.2013 को अन्तहकालीन आवंटन पत्र संख्या 536, रसीद संख्या 536 सदस्य रजाक पुत्र उमराव पता भावसिया, तहसील नसीरावाद, जिला अजमेर को आवंटित कर उक्त असल दस्तावेज सदस्य को सुपुर्द कर कब्जा संभला दिया था। सदस्य रजाक ने उक्त असल दस्तावेजात खो जाने एवं समिति से डुप्लिकेट उक्त दस्तावेजात लेने के लिये समिति के समक्ष आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में यदि कोई रहन, विक्रय या अन्य कोई आपत्ति किसी संस्थान या व्यक्ति को हो या सदस्य रजाक को उक्त भूखण्ड का डुप्लिकेट आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान जारी किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति है तो वह 105, शान्ति नगर, खिरणी फाटक, जयपुर पर प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस तक अपनी आपत्ति पेश कर दे अन्यथा उसके बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी और उसके बाद प्राप्त आपत्तियां शून्य व अमान्य होगी और सदस्य को समिति द्वारा डुप्लिकेट आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान जारी कर दिया जायेगा।

भंवर सिंह, अध्यक्ष, बाबा आर.एन.गौड़ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर, मो. 9929992240

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6520 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक-21.08.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या **192/159 मध्यम आय वर्ग - अ** का आवंटन सुश्री पदमिनी शर्मा पुत्री स्व. श्री नवल चन्द शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4625 दिनांक 30.11.2004 को जारी किया गया था। सुश्री पदमिनी शर्मा द्वारा श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा को दिनांक 29.09.2006 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री बाबूलाल शर्मा द्वारा सुश्री पदमिनी शर्मा के पक्ष में पंजीयन निष्पादन दिनांक 10.10.2006 को करवाया गया। श्री बाबूलाल शर्मा द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से पंजीयन पश्चात् उक्त आवास का विक्रय कर श्री श्यामलाल सैनी पुत्र श्री मांगीलाल सैनी को दिनांक 07.11.2006 विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर - द्वितीय जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री श्यामलाल सैनी द्वारा उक्त आवास को श्रीमती शिवानी सिंह पत्नी श्री रीतेश कुमार को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2006 को उप पंजीयक (अष्टम्) जयपुर में पंजीकृत करवाया गया । क्रेता/क्रेती श्रीमती शिवानी सिंह पत्नी श्री रीतेश कुमार द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती शिवानी सिंह पत्नी श्री रीतेश कुमार का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

---

bida भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण
एच-5, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, अलवर
दूरभाष : 01493230819 ई-मेल.bida.bhiwadi@rajasthan.gov.in
क्रमांक : बीडा/आयो/2025/07704/2649/25 दिनांक : 22.08.2025

-: सार्वजनिक विज्ञप्ति :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, बीडा भिवाड़ी द्वारा ग्राम खिजूरीवास तह. तिजारा के ख.न. 965 से 967 व 969, 977 कुल किता 05 कुल रकबा 3.64 है. भूमि की आवासीय प्रयोजनार्थ 90ए दिनांक 06.12.2013 को की जाकर अनुमोदित आवासीय (प्लटिड) योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान दिनांक 02.02.2015 को जारी किया गया था. वर्तमान में मै. कल्प बिल्डटैक प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 10 एल.एस.सी. कालका जी नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री चैतन्य गोयल द्वारा उक्त भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन किये जाने बाबत बीडा कार्यालय में आवेदन किया गया है। जिसके क्रम में प्रकरण बीडा स्तरीय ले-आउट प्लान समिति की 42वीं बैठक दिनांक 07.08.2025 में रखा जाकर सशर्त अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में मौके पर प्रश्नगत योजना अविकसित है अर्थात भूमि वर्तमान में रिक्त है। अत: पूर्व में दिनांक 02.02.2015 को अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/आक्षेप हो तो इस योजना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अंदर-अंदर कारण मय दस्तावेज सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति/ आक्षेपों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(अतुल प्रकाश) आईएएस
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

कार्यालय ग्राम पंचायत खिदरपुर जादौन पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
क्रमांक : 2025-26/SPL-01 दिनांक : 21.08.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 04/2025-26

पंचायत समिति खण्डार के अधीन ग्राम पंचायत खिदरपुर जादौन में मनरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाएं में स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिये आनुसांगिक सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक जीएसटी पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोकुमेंट प्रक्रिया द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक सायं 06.00 बजे ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा से संबंधित अन्य विवरण एवं दस्तावेज राजस्थान के लोक उपापन पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in एवं एसपीपीपी पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।
EPROC TENDER ID - 2025_PRD_495595_1
NIB - ZSM2526A0525, UBN - ZSM2526GLOB00591

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खिदरपुर जादौन — प्रशासक, ग्राम पंचायत खिदरपुर जादौन

कार्यालय सचिव राज. मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी, प्राथ. स्वा. केन्द्र खुशखेड़ा (तिजारा) खैरथल-तिजारा

क्रमांक -2025/15 **खुली निविदा सूचना** दिनांक : 20.08.2025

सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी प्राथ. स्वा. केन्द्र खुशखेड़ा (तिजारा) खैरथल-तिजारा द्वारा निम्न सेवाये उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत संस्था से निम्नानुसार निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रू.	निविदा शुल्क रू.	बोली प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद् मशीन(संविदा)	150000/-	3000.00/-	100.00/-	29.08.2025 12.00 PM	29.08.2025 1.00 PM	29.08.2025 2.00 PM
2	लैब टेक्निशियन (संविदा)(MNJY)	150000/-	3000.00/-		29.08.2025 12.00 PM	29.08.2025 1.00 PM	29.08.2025 2.00 PM

नियम एवं शर्तें :-

1. निविदाऐं दोहरी बिड प्रणाली अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। पहला लिफाफा (क) तकनीकी बिड का होगा जिसमें अमानत राशि का डीडी / बैंकर्स चैक, समस्त वांछित डॉक्यूमेंट की प्रमाणित छाया प्रति मय निविदा फार्म लगाया जायेगा। डीडी/बैंकर्स चैक राजस्थान मेडिक्येर रिलीफ सोसाइटी, खुशखेड़ा के नाम से व तिजारा शाखा पर देय होगा। दूसरा लिफाफा (ख) वित्तीय बिड का होगा, जिसमें सिर्फ प्रस्तावित दरें ही दी जावेगी । तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी ।
2. प्राप्त निविदाऐं दिनांक 29.08.2025 को दोपहर 1.00 तक जमा की जायेगी तथा 29.08.2025 को दोपहर 2.00 निविदा समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
3. तकनीकी विवरण एवं निविदा की शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध है। जो कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा करा प्राप्त की जा सकती है ।
4. अधिक जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है।
5. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने के सम्बन्ध मे समस्त अधिकार कमेटी के पास रहेगा।

सचिव राज. मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी
प्राथ0 स्वा0 केन्द्र खुशखेड़ा, तिजारा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

स्टेशन रोड़ शाखा, रिजर्व पुलिस लाईन के सामने जयपुर, राजस्थान 302001
ई-मेल: stajai@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
''परिशिष्ट-IV-क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' और ''जितनी भी उपलब्ध है''** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा,** प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लॉट सं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/ वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	**मैसर्स गोविन्दा टेक्सटाईल** **फैक्ट्री पता-** प्लॉट नं. 02, प्रथम तल, श्री राम विहार, सांगानेर, रीको कांटा के पास, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 **रजि. पता-** ए-36, न्यू सचिवालय विहार कल्याणपुरा, इंडस्ट्रीयल एरिया केशवाना, जयपुर, राजस्थान 303108 **प्रोपराईटर-** **श्री गोविन्द राठी पुत्र श्री ओमप्रकाश राठी** फ्लैट नं. बी-2206, 21वां तल, स्कॉय टेरेसेज, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 एवं 320, घन्चियों का बास महामंदिर, जोधपुर कचेरी, जोधपुर, राजस्थान 342006 एवं 32, आदर्श नगर, लाल सागर, जोधपुर, राजस्थान 342007	श्री गोविन्द राठी पुत्र श्री ओमप्रकाश राठी के नाम आवासीय सम्पत्ति जो यूनिट नं. सी-82, द्वितीय तल, टॉवर-सी, यूनिक न्यू टाऊन फेज-II, गाँव महल, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका बिल्ड अप एरिया 847.55 वर्ग फीट (कार्पेट एरिया 638.64 वर्ग फीट) है। **सीमाएं-** पूर्व: खुला आकाश, पश्चिम: खुला आकाश, उत्तर: फ्लैट नं. सी-92, दक्षिण: गलियारा एवं फ्लैट नं. सी-72 **अन्य ऋण भार:** ज्ञात नहीं	रूपये 83,97,222.74 दिनांक 26.08.2024 को बकाया एवं आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	09.09.2025 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	**आरक्षित मूल्य-** रूपये 53,39,000/- / **धरोहर राशि-** रूपये 5,33,900/- / **बोली वृद्धि राशि-** रूपये 20,000/-	वास्तविक	04.09.2025 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से दूरभाष नं.- 0141-2378365, मोबाईल नं. 8094018326 पर संपर्क कर सकते है।

दिनांक: 22.08.2025
स्थान: जयपुर

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा